

# झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय

## CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND

(A Central University established by an Act of Parliament of India in 2009)

Ref. No. CUJ/LTC/2014/1199

Dated: 22 July, 2014

### NOTICE

It is notified for information and necessary action by all the concerned that after availing the Leave Travel Concession the officials are required to submit the claim to the office of Registrar in the prescribed form (enclosed).

This issues with the approval of the Vice-Chancellor.

*Asahin*  
22/7/14  
ASSISTANT REGISTRAR-II

Enclosure: LTC claim settlement Form.

Copy for information and necessary action to:

1. PS to Vice Chancellor
2. PS to Registrar
3. PS to Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. All Deans and chairpersons
6. All Heads/coordinators of the Centre
7. OSD (Project)
8. Librarian
9. Dy. Registrar
10. IAO
11. System Analyst for uploading in the university website
12. Assistant Registrars
13. Notice Board
14. Concerned File
15. Guard File

*Asahin*  
22/7/14  
ASSISTANT REGISTRAR-II

# झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

(संसदीय अधिनियम के तहत 2009 में स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

संदर्भ सं.. झा.के.वि/एलटीसी/2014/1199

दिनांक – 22 जुलाई, 2014

## सूचना

संबंधित सभी द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाता है कि अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाने के बाद कर्मचारी अपना दावा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में कुलसचिव कार्यालय में जमा करें।


यह कुलपति के अनुमोदन पर जारी किया जा रहा है।

  
सहायक कुलसचिव-II

अनुलग्नक: एलटीसी दावा समायोजन प्रपत्र

प्रतिलिपि: सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. परीक्षा नियंत्रक
5. सभी डीन और अध्यक्ष
6. सभी विभागाध्यक्ष / केन्द्र के समन्वयक
7. ओएसडी (प्रोजेक्ट)
8. पुस्तकालयाध्यक्ष
9. उप-कुलसचिव
10. आइएओ
11. सिस्टम एनालिस्ट विश्वविद्यालय वेबसाइट के लिए
12. सहायक कुलसचिव
13. सूचना पट्ट
14. संबंधित फाइल
15. गार्ड फाइल

  
सहायक कुलसचिव-II

प्रमाणित किया जाता है कि/Certified that the:-

1. दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है :  
The information, as given above is true to the best of my knowledge and belief:
2. कि मेरे पति / मेरी पत्नी सरकारी सेवा में नहीं हैं / हैं और उनके या अपने लिए या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए संबंधित वर्ष ..... के लिए रियायत की सुविधा नहीं ली गई है । That my husband/wife is not employed in Government service/that my husband/wife is employed in Government service and the concession has not been availed of by him/her separately or himself/herself or for any of the family members for the concerned block of \_\_\_\_\_years.
3. कि मेरे पति / मेरी पत्नी जिनके लिए मेरे द्वारा एलटीसी दावा किया गया है.....  
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निगम / स्वायत्त निकाय, आदि का नाम ) में कार्यरत हैं जो एलटीसी की सुविधा प्रदान करता है किन्तु उन्होंने अपने नियोक्ता से इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया है न करेंगे / करेंगी / और  
That my husband/wife for whom LTC is claimed by me is employed in \_\_\_\_\_  
(name of the Public Sector undertaking/ Corporation/Autonomous Body, etc. ) which provides LTC facilities but he/shed has not preferred and will not prefer, any claim in this behalf to his her employer; and
4. कि मेरे पति / मेरी पत्नी जिनके लिए मेरे द्वारा एलटीसी दावा किया गया है किसी भी पूर्ण या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा वित्तपोषित (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निगम / स्वायत्त निकाय), जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को एलटीसी की सुविधा प्रदान करता है, में कार्यरत नहीं हैं ।  
That my husband/wife for whom LTC is claimed by me not employed in Public Sector undertaking/ Corporation/Autonomous Body, Financed wholly or partly by the Central Government or a Local Body, which provides LTC facilities to its employees and their families.

दिनांक .....  
Date.....

सरकारी कर्मचारी का हस्ताक्षर  
Signature of Government Servant

